संख्या-34/2023/आई/264292/41-1002-002-2-2021-Part-1

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 20 जनवरी, 2023

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6682/(रा.यो.बजट)/2022-23, दिनांक 13.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मद में रु0 7037.00 लाख (रु0 सत्तर करोड़ सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदों से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि ली जाने वाली मद संख्या	पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जाने वाली मद संख्या	पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित धनराशि
1.	5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय– 80–सामान्य–104–संर्वधन तथा प्रचार–97–वाह्य सहायतित् परियोजनायें, 9701–आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना–24 वृहत् निर्माण कार्य।	5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय –80–सामान्य– 104–संवर्धन तथा प्रचार– 08–मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास–24 वृहत् निर्माण कार्य।	**4437.00**
2.	5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय– 80–सामान्य–104–संर्वधन तथा प्रचार–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें –0107–स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के.100/रा.0.के) –24–वृहत् निर्माण कार्य		**1400.00**
3.	5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय– 80–सामान्य–104–संर्वधन तथा प्रचार–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें –0109–प्रासाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों मे पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन (के.100/रा.0.के) –24–वृहत् निर्माण कार्य		**1200.00**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपर्युक्त सारणी के क्रमांक 1, 2 व 3 में उल्लिखित मदों से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पर्यटन स्थलों का विकास-24 वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 7037.00 लाख (रु0 सत्तर करोड़ सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से दी जा रही धनराशि का का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। तथा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम दी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा तथा उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम दी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम दी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-34/2023/आई/264292/41-1002-002-2-2021-Part-1, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20222023-41-1002-002-2-2021-Part-1

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801040109 (प्रासाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	16,07,04,000 रुपये सोलह करोड़ सात लाख चार हजार मात्र	16,07,04,000 रुपये सोलह करोड़ सात लाख चार हजार मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	4,07,04,000 रुपये चार करोड़ सात लाख चार हजार मात्र	2022-2023
044	5452801040107 (स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के.100/रा.0-के.)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	31,96,72,000 रुपये इकतीस करोड़ छियानबे लाख बहत्तर हजार मात्र	26,38,84,143 रुपये छब्बीस करोड़ अड़तीस लाख चौरासी हजार एक सौ तैंतालीस मात्र	14,00,00,000 रुपये चौदह करोड़ मात्र	14,00,00,000 रुपये चौदह करोड़ मात्र	17,96,72,000 रुपये सत्रह करोड़ छियानबे लाख बहत्तर हजार मात्र	2022-2023
044	5452801049701 (आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,94,37,00,000 रुपये एक अरब चौरानवे करोड़ सैंतीस लाख मात्र	1,24,37,00,000 रुपये एक अरब चौबीस करोड़ सैंतीस लाख मात्र	44,37,00,000 रुपये चवालीस करोड़ सैंतीस लाख मात्र	44,37,00,000 रुपये चवालीस करोड़ सैंतीस लाख मात्र	1,50,00,00,000 रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	परियोजना)							
कुल					₹ 70,37,00,000	₹ 70,37,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801040800 (मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,00,00,00,000 रुपये दो अरब मात्र	70,37,00,000 रुपये सत्तर करोड़ सैंतीस लाख मात्र	70,37,00,000 रुपये सत्तर करोड़ सैंतीस लाख मात्र	2,70,37,00,000 रुपये दो अरब सत्तर करोड़ सैंतीस लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 70,37,00,000	₹ 70,37,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संख्या:RE-budget-1-235-E-7-219-X-2022-23-दिनांक:29-12-2022

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश।

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव।

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव।

संख्या-34/2023/आई/264292/41-1002-002-2-2021-Part-1, दिनांक- जनवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।